क्रम संख्या–197

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 23 नवम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 02, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 1471/का–2/2002
देहरादून, 23 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प0आ0–199

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समस्त वर्तमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–
   (1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002 कहलायेगी।
   (2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
   (3) यह ऐसी सभी भर्तियों पर लागू होगी, जो आयोग के माध्यम से चयन द्वारा, चाहे वह लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर या दोनों प्रकार से हो, सीधे की जाये।

2. परिभाषायें–
   (एक) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से है।
   (दो) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार से है।
   (तीन) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है।

(बार) "पद" का तात्पर्य ऐसे किसी पद या पदों से है, जिस पर चयन आयोग के माध्यम से किया जाये।

(पाँच) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों और सरकारी आदेशों से है और इसके अन्तर्गत पद के लिए भर्ती की रीति विहित करने वाले नियम भी हैं।

(छः) "प्रारम्भिक परीक्षा" का तात्पर्य मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को ज्ञात करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली छान-बीन परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) से है।

(सात) "सीधी भर्ती का तात्पर्य" आयोग के माध्यम से सीधे की गयी भर्ती से है, चाहे वह सेवा नियमों और सरकारी आदेशों में यथाविहित प्रतियोगिता द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न चयन द्वारा हो।

(आठ) "उपयुक्त अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो प्रारम्भिक परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करे, जिसके आधार पर वह यथास्थिति, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित हो सके।

(नौ) "मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार" का तात्पर्य सुसंगत सेवानियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार परीक्षा या साक्षात्कार से है।

3. प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करना–

(1) भर्ती के सम्बन्ध में सुसंगत सेवा नियमों या सरकारी आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयोग, सरकार के पूर्वानुमोदन से, यथास्थिति, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(2) जहाँ कोई प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाये, वहाँ केवल वही अभ्यर्थी जो प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, यथास्थिति, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के हकदार होंगे।

(3) प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अन्तिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए नहीं की जायेगी।

(4) (एक) प्रारम्भिक परीक्षा में, दो घण्टे की अवधि के बराबर-बराबर अंक के दो प्रश्न-पत्र होंगे। इनमें एक प्रश्न-पत्र सामान्य ज्ञान तथा दूसरा प्रश्न-पत्र उन विषयों में से एक का होगा, जिसका विकल्प अभ्यर्थी द्वारा उस सेवा के मुख्य परीक्षा के लिए अनुमत वैकल्पिक विषयों में से किया जायेगा।

(दो) उस दशा में जहाँ केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, प्रारम्भिक परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र सामान्य ज्ञान और पद पर कार्य की प्रकृति से सुसंगत विषय पर होगा।

(5) मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र अनुमत भाषा में बनाये जायेंगे और जहाँ साक्षात्कार द्वारा चयन विहित हो, वहाँ अंग्रेजी और हिन्दी में बनाये जायेंगे।

(6) प्रारम्भिक परीक्षा ऐसे स्थानों पर और दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी, जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जायेगा।

4. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रकाशन के दिनांक को लम्बित चयन सुसंगत सेवा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार जारी रखा जायेगा और समाप्त किया जायेगा मानो यह नियमावली प्रवृत्त न हुई हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

पी०एस०यू०(आर०ई०)12 कार्मिक/516-2002-1,000+75 (कम्प्यूटर/रीजियो)।